राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 666वीं बैठक दिनांक 04/08/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 10191/2023 Shri Sanjeev Suri, Chief Chemist, M/s Navalsingh Sahakari Shakkar Karkhana Maryadit, Navalnagar, Village-Ziri, Tehsil & District-Burhanpur (MP)-450331, Prior Environment Clearance for proposed fuel ethanol unit of 45 KLD (B molasses based) / 54 KLD Cane Juice based alongwith co generational plant of 1.5 mw in an area of 2.00 ha. at Khasra No. 144, Village-Jhiri, Tehsil-Burhanpur, District-Burhanpur (MP).

This is case of Prior Environment Clearance for proposed fuel ethanol unit of 45 KLD (B molasses based) / 54 KLD Cane Juice based alongwith co generational plant of 1.5 mw in an area of 2.00 ha. at Khasra No. 144, Village-Jhiri, Tehsil-Burhanpur, District-Burhanpur (MP). under Category-5(G). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal of case under B-2 Category

The case presented by the Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal in presence of authorized representative of PP Shri Sanjeev Suri, Chief Chemist from M/s. Navalsingh Sahakari Shakkar Karkhana Maryadit, Navalnagar, Village-Jhiri, Tehsil & District-Burhanpur wherein during presentation PP submitted that the M/s Navalsingh Sahakari Shakkar Karkhana Mydt. has proposed Molasses Base/Cane Juice base fuel ethanol unit of 45/54 KLD of fuel ethanol unit with cogeneration of power (1.5 MW) at Navalnagar Village – Jhiri, Tehsil- Burhanpur Nagar & Distt – Burhanpur (MP) for production of Fuel Ethanol for the purpose of Ethanol Blending Programme and The Collector, Burhanpur is a Managing Director of M/s Navalsingh Sahakari Shakkar Karkhana Maryadit, Navalnagar.

Salient Feature of the project

Salient Feature of the project		
Sr. No.	Particulate	Description

1.	Name of the proponent	Navalsingh Sahakari Shakkar Karkhana Mydt.
2.	Project capacity	45KLPD - B Molasses based
		54 KLPD - Cane Juice based
3.	Khasara No. & Location of the project	144, Navalnagar Village –Jhiri Tehsil – Burahanpur Nagar and Dist. Burhanpur, M.P Pin - 450331
4.	Geographic Location	
	Latitude Longitude	21°23'42.27"N, 76°15'44.72"E 21°23'39.12"N, 76°15'43.31"E 21°23'39.23"N, 76°15'42.49"E 21°23'40.13"N, 76°15'39.79"E 21°23'43.80"N, 76°15'41.28"E
5.	Land requirement for fuel ethanol unit	20000 sqm
6.	Product	Fuel Ethanol
7.	Operation days	300
8.	Raw material requirement	Cane juice- 104247 MT/
		B- heavy Molasses – 20736 MT
9.	Fresh water Requirement	214 (Molasses Based) and 132 (cane juice based) KL/Day
10.	Electricity	1630 kw
11.	Turbine generator	1.5 MW
12.	Steam Requirement	17 TPH
13.	Fuel	bagasse
14.	Boiler	20 TPH
15.	DG	Existing 320kva
16.	Effluent treatment System	ZLD process followed by Bio-methanation, CPU and Dryer
17.	Man-power	50 numbers
18.	Total project cost	7184 lacs
19.	Land acquired	34.42 hact
20	Proposed area for plantation	5 hact
22	Existing area of plantation	10500sqm
22 23	Capital Cost for Environmental measures (Existing)	50 Lacs
24	Capital Cost for Environmental measures (proposed)	2872 Lacs
24	Recurring cost for environmental monitoring etc (Proposed)	83.65 Lacs

Details of Raw Material

Land use Break-Up For Existing And Proposed Unit			
Area in Sq Mt			
Particular	Existing Sugar Unit	Proposed Distillery unit	

Built up Area of main plant and machineries	1300	8049
Road area	13153	1000
Raw Material storage area	500	100
Fuel Storage Area	8446	2000
Roof Area	5300	1500
Green Belt	Existing Green belt: 10500	7351
Total	38799	20000
Parking area	1100	common
Green belt proposed	-	42600
Open Land	3,04,301	2,81,600
Total Area acquired	34.42 Hact (3,44,200 sq mtrs))

Land break Up:

Land use Break-Up For Existing And Proposed Unit				
	Area in Sq Mt			
Particular	Existing Sugar Unit	Proposed Distillery unit		
Built up Area of main plant and machineries	1300	8049		
Road area	13153	1000		
Raw Material storage area	500	100		
Fuel Storage Area	8446	2000		
Roof Area	5300	1500		
Green Belt	Existing Green belt: 10500	7351		
Total	38799	20000		
Parking area	1100	common		
Green belt proposed	-	42600		
Open Land	3,04,301	2,81,600		
Total Area acquired	34.42 Hact (3,44,200 sq mtrs)			

Environmental Setting of Project

Details of Environmental Settings of the study area			
Particulars	Details		
Locations			
A. Village	Village-Jhiri, Tehsil & Dist - Burhanpur (MP		
Toposheet No.	55C/7		
Latitude	21°23'39.12"N - 21°23'43.80"N		
Longitude	76°15'39.79"E -76°15'44.72"E		
General ground level	304m AMSL		
Elevation range	Highest – 307m AMSL		
	Lowest -301m AMSL		

Nearest Highway	Indore-Burhanpur Highway- 280m- E
Nearest Railway Station	Ashirgarh Road- 1.75km- SE
Nearest Airport	Indore -170km
National park/Wild Life Sanctuaries within 10km radius	None within 10km raidus
Reserved / Protected Forest within 10km radius (Boundary to boundary distance)	Mangrul PF- 0.50km - W
Nearest major city with 100000 population within 10km radius	Burhanpur – 7.75km- SSW
Nearest Town / City within 10km radius	Burhanpur – 7.75km- SSW
Surrounding village within 1 km area of the project.	Jhiri- 0.75km- NE
Details of Environmental Settings of the study area	
Nearest River	Hijra N – 1.75km- E Machalpur N- 1.50km- SW Nimba N – 2.75km- NE Tapi River – 5.50km- SE
Nearest Lake/ Ponds/nalla/canal	Jhanjhar dam – 2.75km- NE Local nalla – 0.50km- E Local Nalla – 0.25km- WNW
Nearest Hill Ranges	Kali Karar – 5.00km - W
Seismic Zone	Zone - III

As submitted by the PP, the process is ZLD based with provision of Biomethenization followed by MEE and Spray Dryer. 50% of the total spent wash having solids 12 to 14% w/w solids generated shall be recycled back to Fermenters as process water and balance spent wash shall be fed to Biogas digester. Methane gas generated in the Bio digester during the process shall be fed to boiler as boiler fuel. Spent wash containing dissolved solids up to 5 to 6% shall be fed to multi effects Bio methanated Evaporation plant for further concentration. Spent wash containing 5 to 6 % w/w dissolved solids shall be further Biomethanated concentrated in the multi effects evaporation to achieve concentration up to 27 to 28% w/w solids. This concentrated Bio methanated spent wash (27-28%) w/w solids shall be further fed to Agitated Thin Film Dryers.. The final product consisting moisture less than 10% w/w moisture shall be sold as fertilizer. The Spent wash (397 KLD) will treat in Bio-Methanation unit whereas Methane gas (206/62 Nm3/day) produces to burn in Boiler as supportive fuel and BMSW spent wash treated in to evaporation to concentrate up to 40% w/w solids (76KLPD). Concentrated spent wash then further treat in to spray drier to produce spent wash powder (25/10 TPD) which is good potash rich fertilizer. CO2 will be bottled as bi-product within plant premises. The fresh water consumption has been estimated as 4.57KL per KL for Mollases base and 2.42 KL per KL for Cane juice base for 45 to 54 KLD plant.

During presentation, it was also observed that some trees are present in the proposed land for which PP submitted that no trees shall be uprooted.

The submissions and presentation made by the PP found to be satisfactory and acceptable hence the case is recommended for grant of Prior Environment Clearance for installation of fuel ethanol unit of 45/54 with 1.5 MW co-generation plant at Khasara no Khasra No. 144, Navalnagar Village –Jhiri Tehsil – Burahanpur Nagar and Dist. Burhanpur, M.P subjected to the special conditions as follows:

(A) Statutory compliance:

- 1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
- 2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time & permission of competent authority if ant tree falling is to be carried out.
- 3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

- 1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- 2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
- 3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS.
- 4. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
- 5. DG exhaust will be discharged at height stipulated by CPCB.
- 6. CO2 generated from the process shall be bottled/made solid ice and sold to authorized vendors.
- 7. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
- 8. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161h November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

- 1. Total fresh water requirement shall not exceed 132.47 KLD for Mollases base and 132.47 KLD for cane juiceproposed to be met from River Sindh..
- The spent wash shall be taken to Bio Methanisation unit followed by multi effect evaporators (MEE) and the concentrated spent wash shall be treated in Spar dryer to maintain ZLD condition from the unit.

- 3. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent (if applicable), the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
- 4. As already committed by the project proponent Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises, for which PP shall provide Bio Methanization unit, MEE, followed by Spar dryer unit for making system zero discharge
- 5. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
- 6. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
- 7. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
- 8. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
- 9. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

- 1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets for controlling the noise pollution.
- 2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
- 3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

- 1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
- 2. Possibility of installation of solar power system may be explored.

(F) Waste management

- 1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
- 2. Hazardous wastes such as used oil, discarded drums, used carbon etc shall be directly sent to CTSDF, Dhar.
- 3. The Fly ash generated from boilers shall be stored in silos and disposed to farmers of the area. The ash may be mixed with available press mud

- 4. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
- 5. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate fire fighting systems should be provided for the storage area.
- 6. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
- 7. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
- 8. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
- 9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
- 10. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
- 11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
- 12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
- 13. The company shall undertake waste minimization measures as below:
 - a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
 - b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
 - c. Use of automated filling to minimize spillage.
 - d. Use of Close Feed system into batch reactors.
 - e. Venting equipment through vapour recovery system.
 - f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation.

(G) Green Belt

1. 5 hact will be covered with the good green belt and 12500 trees will be planted. The green belt of 5m width will be developed mainly along the periphery and road side. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.

Proposed Plantation Detail			
Description Number Qty			
Inside and adjoining protected		Neem, Bargad, Arjun, Ashok, Anjan, Jack Fruit,	
area. Awla, Sheesham etc.			

Approach Road, internal road		Putran Jeeva, Arjun, Molshree, Amaltash,	
and Parking	3000	Kusum, Achar, Kadamb etc.	
Around Storage area CPU and		Ashoka Trees, Kank Champa, Rat Rani, Karanj,	
Distillation Plant	2000	Moleshree etc.	
Around water storage area,			
Pump House	1500	Moleshree, Guava, Karanj, Khamer etc.	
	12500	TOTAL = 12500 number	

- 2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
- 3. PP shall also develop green belt over community places in consultation with gram panchayat.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

- 1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- 2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
- 3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- 4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
- 5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- 6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
- 7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP& Corporate Environment Responsibility

- 1. The proposed EMP cost is Rs. 2872 Lakhs as capital and 83.65 Lakhs /year as recurring cost.
- 2. Under CER activity, Rs. 25 Lakhs has proposed for different activities. PP shall comply with the commitment as follows:

S.N.	Major Activity Heads	Physical Nos. & Village	Total (Rs. In Lakhs)
1	Deepening of Pond the surrounding villages	Village Jhiri, Mangrul and Nasirabad	10
2.	Repair/ maintenance of School like library, playground and Laboratory in village concerned and surrounding area.	Primary school of village Jhiri, Mangrul and Nasirabad	10
3.	Aid to PHC of concerned area.	Financial aid to PHC at Village Jhiri for need base requirement	05
	Total		25.00

- 3. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- 4. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- 5. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
- 6. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- 7. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

J. Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

- 2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- 3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- 4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- 5. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In case of deviations or alterations in the project proposal from those submitted to this Ministry for clearance, a fresh reference shall be made to the Ministry to assess the adequacy of conditions imposed and to add additional environmental protection measures required, if any
- 6. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

<u>Recommendation:</u> Recommended for grant of Prior Environment Clearance subjected to the above conditions

2. Case No 9858/2023 M/s Veer Durgadas Minerals Pvt.Ltd. R/o Rathore House, Near FCI Godown, Chanderia, Chittorgarh (Raj.)-312021, Prior Environment Clearance for Limestone Quarry in an area of 221.043 ha. (500010 TPA) (Khasra No. As per Lease Sanction) Village-Suvakheda and Kheda Rathore, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP).

प्रकरण में समिति की पूर्व 645वीं बैठक दिनांक 15/05/23 में चाही गई जानकारी का प्रस्तुतीकरण समिति के 655वीं दिनांक 22/06/23 को प्रस्तुतीकरिण हुआ था, जिसमें क्वेरी क्रमांक 1 के संदर्भ में जिलाध्यक्ष नीमच द्वारा अपने पत्रांक 597/खिनज/2023 नीमच दिनांक 12.05.2023 में उक्त बिदु पर टीप नही दी गई है, मात्र पुराने बिंदु का ही उल्लेख किया है, अन्य बिंदुओं के संबंध में परीक्षण करने पर समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अतः विस्तृत जानकारी निम्न बिंदुओं पर जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी जावें:—

- ब्लॉक न. ४ के भू—स्वामी कितने है खसरावार तालिका प्रस्तुत करे ।
- ओ.वी. डंप कहाँ रखा जायेगा अथवा उसके विक्रय का प्रस्ताव है, स्थिति स्पष्ट करें ।

- बस्तियो से, एवं नदी, नाला, बॉध से एन.जी.टी. / सीपीसीबी की गाईडलाईन के अनुरूप 200 मीटर का सेटबेक के आधार पर सरफेस मैप प्रस्तुत करे। ब्लॉक न. 2 से स्टॉप डेम के एच.एफ. एल एवं प्राकृतिक नाला से आवश्यक दूरी का प्रावधान करें। हॉलािक परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. गाईड लाइन के अनुरूप सेटबेक रखने का अनुरोध किया गया हे।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नही है। समिति का मत है कि इस संबंध में हाईड्रोज्योलॉजीकल अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे ।
- क्वेरी क्रमांक 6 के अनुसार ब्लॉक 2, 4 एंव 10 का कुल क्षेत्र 135.61 हे0. है इन तीनों ब्लाकों में शासकीय भूमि तथा निजि भूमि का खसरावार क्षेत्र दर्शाते हुये तालिका प्रस्तुत की जावें तथा ब्लॉक 4 में जो निजी किसान प्रभावित होंगे उनमें से जन—सुनवाई में कौन—कौन से किसान उपस्थित हुये एंव उनके द्वारा क्या—क्या सुझाव/ आपत्ति दी गई, उनके सुझाव/आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण संबंधी जानकारी तालिका के रूप में प्रस्तुत की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 221 हे. के लिये पर्यावरण स्वीकृति मांगी गई है पंरतु पौधारोपण का प्रस्ताव केवल कुल 29 हे0 का ब्लॉक न. 2, 4, 10 का दिया गया है अतः सभी ब्लाको के पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, अन्यथा प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल को ही पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।
- प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्रफल हेतु ट्री इन्वेंटरी प्रस्तुत की जावे।
- निजी भूमि में प्रस्तावित पौधारोपण हेतु भूस्वामी की मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध कराये जावे, कृषको के द्वारा मांग के अनुसार पौधो का वितरण भू—प्रवेश के बाद करने हेतु शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जाये ।
- निजी भू—स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखते हुए फेयरडील के आधार पर किया जाये तथा जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि भूमि अधिग्रहण किसी प्रलोभन अथवा दबाबवश नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/07/23 के द्वारा उपरोक्त वांछित जानकारी परिवेश पोर्टल अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 03/08/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शिव कुमार लखेरा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कान सिंह राठौर मेसर्स इंवायरो ग्रीन कंसल्टेंस (इंडिया) प्रा.लि. उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए।

समिति ने चर्चा ब्लॉक नं. 1 एवं 2 के बीच जो प्राकृतिक नाला है एवं रहवासी क्षेत्र है, उसमें संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 100 मीटर का सेटबैक प्रस्तावित किया गया है, जिसे नक्शें में दिखाया गया है । वर्तमान में ब्लॉक नं. 6 में कोई खनन् कार्य प्रस्तावित नही है । ब्लॉक नं. 10 में पूर्वी ओर एक छोटे क्षेत्र में माईनिंग प्रस्तावित है परंतु चारों ओर निजी कृषि भूति है, अतः ब्लॉक नं. 10 में खनन् कार्य प्रस्तावित नहीं करेंगे । प्रस्तुतीकरण पश्चात् परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए दिए गए :-

1. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ब्लॉक नं—3 जिसका क्षेत्रफल 2.995 है और खनन् कार्य ब्लॉक नं. 4 में प्रस्तावित है, इस ब्लॉक का ओव्हरवर्डन ब्लॉक नं. 3 में डम्प प्रस्तावित है । समिति ने वर्स्टकेस सिनारियों की स्थिति में यदि ओव्हनवर्डन विक्रय नहीं है तो ब्लॉक नं.—3 में

वर्ष 2055 तक कितना ओव्हरवर्डन समायोजित होगा, का विवरण नक्शें दिखाते हुए डेटा सहित प्रस्तुत करें ।

- 2. यदि ओव्हरवर्डन ब्लॉक नं.-3 में समायोजित नहीं होता है तो परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि हर पाँच वर्ष में इसका आंकलन करेंगे ।
- 3. ब्लॉक नं. 2 में जो कि शासकीय भूमि है, उसमें वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की जावे ।
- 4. ब्लॉक नं. 1 एवं 2 निजी क्षेत्र है तो परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि उसमें बिना किसानों की सहमति के पौधारोपण नहीं किया जावेगा ।
- 5. ब्लॉक नं. 4 एवं 5 में जो प्रचलित रास्ता दिख रहा है, जिसके संरक्षण हेतु 100 मीटर का सेटबैक सरफेस में दिखाते हुए प्रस्तुत करें । साथ ही रोड़ से लगी हुई जो निजी भूमि है, उसमें बिना किसानों की सहमति के पौधारोपण नहीं किया जावेगा ।
- 6. ब्लॉक नं. 5 के दक्षिण-पूर्वी दिशा में जो बस्ती लगी हुई है, उस पूरे क्षेत्र को नियमानुसार नॉन माईनिंग जोन सरफेस में दिखाते हुए प्रस्तुत करें और इसी ब्लॉक में जो निजी भूमि है, उसमें भी भू-स्वामियों की सहमति के आधार पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
- 7. ब्लॉक ७, ८ एवं ९ अधिकांश निजी भूमि है, इसमें बिना किसानों की विधि अनुरूप लिखित सहमति अनुसार वृक्षारोपण किया जावेगा ।
- 8. ब्लॉक नं. 10 में पूर्वी ओर एक छोटे क्षेत्र में माईनिंग प्रस्तावित है परंतु चारों ओर निजी कृषि भूति है, अतः ब्लॉक नं. 10 में खनन् कार्य प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावक वचन पत्र प्रस्तुत करें ।
- 9. प्रस्तावित खनन् क्षेत्र में 04 से 05 लोकेशंस ब्लॉक नं. 4 को शामिल करते हुए जल संसाधन विभाग से हाईड्रोज्योलॉजीकल अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
- 10. ब्लॉक संख्या 4 का कुल क्षेत्रफल 32.092 हैक्टेयर है जिसमें से 6.685 हैक्टेयर भूमि शासकीय भूमि एवं कुल 34 निजी खातेदार है अतः ब्लॉक नं. 4 जिसमें 34 कृषक प्रभावित होंगे, उनका सहमति पत्र भू—राजस्व संहिता एवं एम.एम.आर. नियम के तहत् प्रस्तुत करें ।
- 11. ब्लॉक नं.4 का वर्ष 2055 तक रिस्टोरेशन प्लांन आईबीएम के नियम अनुसार प्रस्तुत करें ।
- 12. क्लोजर प्लांन में बैकफिलिंग का प्रस्तावक है, अतः स्पष्ट करें कि 50 मीटर खनन् के पश्चात् कितनी ऊँचाई तक बैकफिलिंग किया जावेगा एवं उसके लिए मटेरियल कहां से लाया जावेगा।
- 13. बैकफिलिंग की कास्ट ई.एम.पी. में शामित करते हुए पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें ।

3. Case No 9956/2023 Shri Govind Jadon, Owner, R/o Ananpur Road, Lateri, District-Vidisha (MP)-464114, Prior Environment Clearance for Okhlikheda Crusher Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 459/1, 458/2/4), Village-Okhalikhera, Tehsil-Lateri, District-Vidisha (MP)

प्रकरण समिति की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें सैधांतिक स्वीकृति दिखाई गई, जो पी.पी. के रिस्तेदार के नाम थी जिसमें मशीनो के लिये सहमति दी गई है न कि खनन् कार्य के लिये अतः प्रस्तुत सहमति खनन् के अनुरूप नहीं है अतः परियोजना प्रस्तावक

यथोचित सहमित पत्र प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी परीक्षण के दौरान आया कि भूमि की स्वाईल प्रोफाईल में 02 मीटर गहरी मिट्टी दिख रही है जिससे यह स्पष्ट है कि यह भूमि कृषि के लिये उपयोगी है न कि खनन् कार्य के लिये, अतः खनिज अधिकारी विषय विशेषज्ञ से परीक्षण कराकर अपना अभिमत दें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/07/23 के द्वारा उपरोक्त वांछित जानकारी परिवेश पोर्टल अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 03/08/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री गोबिंद जादौन और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खनन् जो निजी थी, संबंधित भू—स्वामी की सहपित पत्र / शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी गई है । भूमि की स्वाईल प्रोफाईल में 02 मीटर गहरी मिट्टी दिख रही है, इस संबंध में खनिज अधिकारी का पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 12/07/23 में उल्लेख है कि स्थल का पुनः परीक्षण कराया गया, जिसमें से लगभग 02 मीटर ओव्हरवर्डन में मिट्टी है, जिसका उपयोग वृक्षारोपण में किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—25,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन् योजना अनुसार बेंचेस एवं क्लोजर के समय रैम्प निर्मित नहीं जाती है और भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए परियोजना प्रस्तावक जिम्मेदार होंगे ।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.88 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम ओखलीखेड़ा हाई स्कूल में कंप्यूटर सेट 02	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3600.वृक्षों का वृक्षारोपण :—

प्रस्तावित वृक्षारोपण के पौधों की प्रजातियाँ लिए नियत स्थान	मात्रा (संख्या में)
----------------------------------------------------------------	---------------------------

1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।	2000
2	परिवहन मार्ग	नीम, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य प्रजातियाँ।	400
3	गाँव में वितरण	कटहल, आम, जामुन, मुनगा, आवला	1200
कुल		3600	

4. <u>Case No 10087/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Nara Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 348), Village-Nara, Tehsil-Bichhiya, District-Mandla (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला — मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्ताव	वेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./क्षेत्रफल	348 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha.,
(सरकारी / निजी) स्थल	Village Nara, Tehsil Bichiya District Ma	nndla. Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग	
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	/ 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान सुरपन नदी में मियंडर पर	मस्थित है एवं खदान के बीच से कच्चा
का नाम / गूगल	पुल स्थित है, इस संबंध में खनिज	अधिकारी द्वारा बताया गया कि जो
इमेज अनुसार स्थिति	वर्तमान में असतित्व में नहीं है ।	
	खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने व	के कारण 3.4 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र
	एवं 0.6 हे. में खनन् कार्य किया जावेग	ाा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—36,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—36,000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा रेत—36,000 रेत का पुनरभराव होगा । 500 मीटर की परिधि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 541 दिनांक 13 / 04 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है । वन मण्डलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 541 दिनांक 13 / 04 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 541 दिनांक 13 / 04 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय / नदी / तालाब / नहर / स्थित है । ग्राम सभा / ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के उहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक 12 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु इसी प्रस्ताव पर सचिव ने हस्ताक्षर के साथ दिनांक 15 / 4 / 23 अंकित होने
स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा रेत—36,000 रेत का पुनरभराव होगा । 500 मीटर की परिधि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है । वन मण्डलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र की अनापित्त कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र अनापित्त कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/ स्थित है । ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के टहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक पंचायत की अनापित्त
500 मीटर की परिधि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र के अन्य खदानें क्रमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है । वन मण्डलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र अनापत्ति कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/ स्थित है । ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के उहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक पंचायत की अनापत्ति
में अन्य खदानें क्रमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है । वन मण्डलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र की अनापित क्रमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र अनापित क्रमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/ स्थित है । ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के टहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक पंचायत की अनापित 28/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है । वन मण्डलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र की अनापित्त कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र अनापित्त कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय / नदी / तालाब / नहर / स्थित है । ग्राम सभा / ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के टहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक पंचायत की अनापित्त 28/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है । वन मण्डलाधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र की अनापित्त कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र अनापित्त कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय / नदी / तालाब / नहर / स्थित है । ग्राम सभा / ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के टहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक पंचायत की अनापित्त 28/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
की अनापत्ति कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र अनापत्ति कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/ स्थित है । ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 28/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र कनापत्ति कमांक 541 दिनांक 13 / 04 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय / नदी / तालाब / नहर / स्थित है । ग्राम सभा / ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 28 / 12 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र अनापित्ति कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/ स्थित है । ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक पंचायत की अनापित्त 28/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
तहसीलदार की कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र अनापत्ति कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/ स्थित है । ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 28/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
अनापत्ति कमांक 541 दिनांक 13/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/ स्थित है । ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 28/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
निकाय / नदी / तालाब / नहर / स्थित है । ग्राम सभा / ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 28 / 12 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
ग्राम सभा/ ग्राम ग्राम पंचायत नारा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक पंचायत की अनापत्ति 28/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
पंचायत की अनापत्ति 28 / 12 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किंतु
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
इसी प्रस्ताव पर सचिव ने हस्ताक्षर के साथ दिनांक 15/4/23 अंकित होने
के कारण वास्तविक तिथि क्या है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद
पंचायत, बिछिया, जिला मण्डला को उक्त ठहराव प्रस्ताव की जॉच कर
प्रतिवेदन देने हेतु समिति विचार कर सकती है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—18 के सरल क्रमांक—2 पर
दर्जे है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—36,000 घनमीटर उल्लेखित है,
जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—36,000 घनमीटर / वर्ष
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— रेत—36,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.52 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि राशि (रु. में

ग्राम नारा के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र प्रभारी की सहमति से 50,000 रुपये की राशि के स्वास्थय संबंधी उपकरण उपलब्ध करबाये जायेंगे ।

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, एंव स्थानीय घास बीजबीज	1500
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम– नारा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
3	परिवहन मार्ग में (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	100

[✓] वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख─रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

✓ पिरवहन मार्ग पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी ।

योग 2400

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. <u>Case No 10086/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for</u>

[🗸] प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।

[✓] एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आडे–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमित पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

<u>Chhiblatola Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (18000 cum per year) (Khasra No. 450), Village-Chhiwalatola, Tehsil-Ghughari, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/08/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011		
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	450 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 2.00 ha		
स्थल	Village Chhiblatola, Tehsil Ghughri, District Mandla, Madhya Pradesh.		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी—1 / बी—2)	बी–2		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान बुडनेर नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के		
का नाम / गूगल	कारण 3.4 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.6 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा,		
इमेज अनुसार स्थिति	जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—18,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-18,000 घनमीटर/वर्ष हेत्		
	स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 18,000 रेत का पुनरभराव होगा ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र		
में अन्य खदानें	क्रमांक 1654 दिनांक 22/10/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य		
	खदान संचालित / स्वीकृत है, जिसे मिलाकर कुल रकबा 04.00 होने के कारण		
	प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र		
की अनापत्ति	क्रमांक 1654 दिनांक 22/10/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता		
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । 250 मीटर अंदर होने से संभागीय		
	आयुक्त की समिति, जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 14/06/21 में		
	उक्त खदान हेतु वन भूमि से खनिज रेत का परिवहन नहीं किये जाने की		
	शर्त पर अनुमति दी गई है ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र		

अनापत्ति	क्रमांक 1654 दिनांक 22/10/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का
	रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत छिवलाछोला जिला जबलपुर के टहराव प्रस्ताव क्रमांक-12
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 20 / 03 / 18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् हेतु प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—19 के सरल क्रमांक—21
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—18,000 घनमीटर उल्लेखित
	है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18,000 घनमीटर / वर्ष
	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गईं जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—18,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 1. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.35 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू.04.75 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
सी.ई.आर. मद से 30,000 रुपये की राशि पालक शिक्षक संघ समिति छिवलाटोला के खाते में जमा की जावेगी ।	30,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास बीज	1500
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	300

		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	ग्राम– छिवलाटोला के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां,(ट्री गार्ड के साथ)	100

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे
 ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण
 की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग 2400

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No 10098/2023 M/s KEC International Limited, Lessee, R/o 8th Floor, DLF Cyber City, Phase-III, Gurgaon, District-Gurugram (HR) Prior Environment Clearance for Pipliya Baag Murrum Quarry in an area of 2.676 ha. (80000 cum per year) (Khasra No. 72), Village-Pipliyabagh, Tehsil-Neemuch, District-Neemuch (MP)

The case considered as per the directions of SEIAA through E-Mail "as request of PP and Additional Collector, District Neemuch, the case under appraisal in SEAC kindly consider it on priority on the basis of the Govt. Project. A copy of the same is attached herewith for information please.

उपरोक्त निर्देश के परिपालन में समिति ने बी—2 श्रेणी के प्राप्त प्रकरणों के गणनाक्रम को तोड़ते हुए आज दिनांक 03/08/23 को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक M/s KEC International Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	M/s KEC INTERNATIONAL LIMITED, 8TH FLOOR DLF CYBER CITY PHASE-III GURGAON HARIYANA-122002.		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	72 (सरकारी भूमि —नॉन फॉरेस्ट) 2.676 Ha. (TP – 02 year)		
स्थल	ग्राम PIPALIYABAGH तसहील Neemuchजिला Neemuch (म.प्र.		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र कमांक437		
	दिनांक 12 / 04 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरूम—80,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया		
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरूम–80,000		
	घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र		
अन्य खदानें	क्रमांक ८४० दिनांक २२/०६/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य		
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र		
अनापत्ति	क्रमांक ८४० दिनांक २२ / ०६ / २३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में		
	नेशनल् पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250		
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र		
	क्रमांक ८४० दिनांक २२ / ०६ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव		
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व		
	के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय		
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,		
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/		
	नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है । ग्राम पंचायत पिपल्या बाग जिला नीमच के पत्र क्रमांक 85 दिनांक		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	२१ / ०३ / २३ अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई		
प्य जंगापारत	21 / 03 / 23 अनुसार प्रस्तापित स्थल पर खनन् काय स पयायत का काइ आपित्त नहीं है		
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 03 पेड़ है, जिसे काटा		
	नहीं जावेगा ।		
गूगल इमेज अनुसार			

वर्तमान स्थिति	खदान मुझे इसी स्थिति में आवंटित हुई है, जिसे सरफेस मेंप में दिखाया
	गया है ।
	उत्तर दिशा — आबादी 219 मीटर पर ।
	दक्षिण दिशा— जल निकाय 230 मीटर पर एवं आबादी 276 मीटर पर ।
	पूर्व दिशा— पक्का रोड़ 240 मीटर पर ।
	पश्चिम दिशा— उद्योग की सीमा 260 मीटर ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच ने एकल प्रमाण–पत्र
स्थिति	क्रमांक 840 दिनांक 22/06/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त
	खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जावेगी ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति
	हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैं:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम—80,000 मी³ प्रति वर्ष। पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 24.57 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 03.53 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण कियें जाये :-

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पिपलिया बाग शासकीय विद्यालय के पालक शिक्षक संग समिति में राशि जमा कराइ जाएगी	1,60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, अस्थाई अनुज्ञा होने 02 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

q	 .	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1		बैरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी,	600

		सिस्सो आदि।			
2	ग्रामीणों में पौधों का वितरण एवं पंचायत में पौधे दिए जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अ कटहल, नीम, पीपल, कचनार, करंज,	• •	2600	
2. अप्र 3. सा	1. नीम, बबूल और सफेद कस्टारके बीजों को गारलैंड ड्रेन और कैच ड्रेन के साथ बोया जाएगा हरित पटटी एवं 2. अप्रोच रोड के दोनों और लगाई जाने वाले पोधो के मध्य में सीताफल के पौधे लगाए जायँगे। 3. साल में जो पौधे ख़राब हो जायँगे उन्हें अगले साल वापस लगाए जायँगे और उनका रख रखाव 10 साल तक किया जायेगा। 4. साथ ही वचनबद्ध हैं कि पौधरोपण कार्यक्रम 1 वर्ष के भीतर क्रियान्वित किया जाएगा				
कुल	कुल 3200				

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No 10075/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Thakra Sand Mine in an area of 2.40 ha. (38880 cum per year) (Khasra No. 969), Village-Tharka, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला — मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011		
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	969(सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.400 ha.	
स्थल	Village Thakra, Tehsil Mandla, District Mandla, Madhya Prad	lesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र कमांव 2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध नि 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	•	

श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2
रेत प्रकरणों में नदी	
	यह खदान बंजर नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग पानी डूबा होने के
का नाम / गूगल	कारण 0.96 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.44 हे. में खनन् कार्य किया
इमेज अनुसार स्थिति	जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—38,880 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—38,880 घनमीटर/वर्ष हेतु
	स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र
में अन्य खदानें	क्रमांक 1098 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य
	खदान संचालित / स्वीकृत होने की जानकारी दी गई है, जिसका रकबा रकबा
	उल्लेख नहीं होने के कारण प्रकरण किस श्रेणी का है, ज्ञात करने करने के
	लिए रकबा संबंधी जानकारी खनिज अधिकारी, मण्डला से प्राप्त की जाना
	होगा ।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र
की अनापत्ति	क्रमांक 1098 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर
	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 1098 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी में मानव
	बसाहट है और शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/ राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ नदी / तालाब / बांध/ स्टॉप डैम/
	नहर / ग्रामीण पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत ठरका जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमां–02 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	08 / 09 / 14 को प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत सहमत है ।
	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—19 के सरल कमांक—16
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–38,880 घनमीटर उल्लेखित
	है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 38,880 घनमीटर/वर्ष
	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।
	नियायर नाय स्वायुरात एतु जायर न नियम समा या ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत — 38,880 मी3 प्रति वर्ष।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.56 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.04.34 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि		
ग्राम ठरका के शासकीय स्कूल में 01 कंप्युटर एवं 01 प्रिंटर के साथ 01 कंप्युटर टेबल का वितरण किया जायेगा ।	50,000	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2880 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, एंव स्थानीय घास बीज	500
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	500
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	390
2	ग्राम— ठरका के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1450
3	परिवहन मार्ग (140 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातिया (ट्री गार्ड के साथ)	40

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन सिमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमित पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

	3	 			
योग					2880

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No 10085/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Indri Sand Mine in an area of 4.68 ha. (41040 cum per year) (Khasra No. 719), Village-Indri, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला — मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh		
परियोजना / कम्पनी	State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second		
/ का नाम व पता	Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011		
खसरा नं./क्षेत्रफल	719 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 4.68 ha		
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village Indri, Tehsil Nainpur, District Mandla, Madhya Pradesh		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से		
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-1 / बी-2		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान बंजर नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के		
का नाम	कारण 2.40 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.28 हे. में खनन् कार्य किया		
	जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—41,040 घनमीटर⁄वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—41,040 घनमीटर⁄वर्ष हेतु		
	स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा रेत-84,240 रेत का पुनरभराव होगा ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र		
में अन्य खदानें	कमांक ४५९ दिनांक २८ / ०३ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य कोई		
	खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र		
की अनापत्ति	क्रमांक ४५९ दिनांक २८ / ०३ / २३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में		

तहसीलदार की अनापत्ति	क्रमांक 459 दिनांक 28 / 03 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत इंद्री जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	04 / 12 / 17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् हेतु प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—18 के सरल क्रमांक—09
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—41,040 घनमीटर उल्लेखित
	है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 41,040 घनमीटर/वर्ष
	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 41,040 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद[ँ] में केपीटल राशि रू. 13.06 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.07.26 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि		
50,000 रुपये की राशि पालक शिक्षक संघ समिति इंद्री के खाते में जमा की जावेगी ।	50,000/-	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5616 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास बीज	1800
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	500
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	300
2	ग्राम– इंद्री के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2936
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	80

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन सिमति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग 5616

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 10076/2023 Shri Surendra Namdeo, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Tikarwara Sand Mine in an area of 1.00 ha. (15600 cum per year) (Khasra No. 298/1), Village-Tikarwara, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष

प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री राहुल शांडिल्य, खनिज अधिकारी, जिला – मंडला समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri SURENDRA NAMDEO, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	298/1 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 1.00 ha.	
स्थल	Village Tikarwara, Tehsil Mandla, District Mandla, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ—19—2— 2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बंजर नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 0.40 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.60 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—15,600 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—15,600 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 15,600 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 23 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित / स्वीकृत होने की जानकारी दी गई है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापित्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1101 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्थान है और चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टिकरवारा जिला मण्डला के पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत सहमत है ।	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—19 के सरल क्रमांक—17
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—15,600 घनमीटर उल्लेखित
	है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,600 घनमीटर / वर्ष
	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 15,600 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.20 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू.03.90 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि		
30,000 रुपये की राशि पालक शिक्षक संघ समिति टिकरवारा के खाते में जमा की जावेगी ।	30,000	

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास बीज	200
		4—5 पंक्ति — कटंग बांस	200
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	100
2	ग्राम– टिकरवारा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	500
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)	200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- √ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड को काटा / उखाडा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

योग

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 10077/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Madha Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 1), Village- Madha, Tehsil- Sihora, District- Jabalpur, (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)		
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 1.00 ha.		
स्थल	Village- Madha, Tehsil- Sihora, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ—19—2— 2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, ख	दान का कुछ भाग पानी डूबा होने के	

का नाम / गूगल	कारण 0.68 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.32 हे. में खनन् कार्य किया		
इमेज अनुसार स्थिति	जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—4,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—4,000 घनमीटर / वर्ष हेतु		
	स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 4,000 रेत का पुनरभराव होगा ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
में अन्य खदानें	कमांक 2475 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य		
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	·		
की अनापत्ति	कमांक २४७५ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में		
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता		
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	1 3 1		
अनापत्ति	कमांक 2475 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव		
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	रमारक, रेल्वे लाईन्/सार्वजनिक भवन/शमशान् घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का		
	रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम	. , , ,		
पंचायत की अनापत्ति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की		
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—63 के सरल क्रमांक—36		
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-4,000 घनमीटर उल्लेखित		
	है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा ४,००० घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय		
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—4,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.86 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.23 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.18 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम मंगेली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	18,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1)नदी तट से 1 से 6	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	693
	पंक्तियों में (4-5 पंक्ति- कटंग बांस	140
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	59
2	ग्राम मढ़ा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	258
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (50
		योग	1200

[✓] वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

[🗸] प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।

[🗸] एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

[✓] परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No 10132/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Khakhra Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 201), Village-Khakhra, Tehsil-Majholi, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80		
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School,	सागर (MP)	
/ का नाम व पता		,	
खसरा नं./क्षेत्रफल	201(सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- Khakhra, Tehsil- Majholi, Distr		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन्, खनिज विभाग		
		/ 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से	
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के		
का नाम / गूगल	कारण 1.5 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.5 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा,		
इमेज अनुसार स्थिति	जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-5000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है		
	और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत— 5000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत		
	है और इतनी ही मात्रा 5000 रेत का पुनरभराव होगा ।		
500 मीटर की परिधि	/ 3 3		
में अन्य खदानें	कमांक 407 दिनांक 15 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य		
	खदान संचालित / स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 03 हे. होता है,		
	अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का आता है ।		

वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	क्रमांक 407 दिनांक 15/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 407 दिनांक 15/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का
	रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत उमरिया ठिहरा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—63 के सरल क्रमांक—41
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-5000 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—5000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.42 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.18 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पिपरिया कलां के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	18, 000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर)नदी तट से 1 से 6		1398
	पंक्तियों में(4-5 पंक्ति- कटंग बांस	282
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	118
2	ग्राम खाखरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	552
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (50
		योग	2400

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- ✓ परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No 10114/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Bhairoghat Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 98), Village-Bhairoghat, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	98 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 2.00 ha.
स्थल	Village- Bhairoghat, Tehsil- Shahpura, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन्, खनिज विभाग के पत्र कमांक एफ-19-2-
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, एक पक्का रोड़ ब्रिज खदान के अपस्ट्री
का नाम / गूगल	पर 360 मीटर की दूरी है । खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण
इमेज अनुसार स्थिति	1.43 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.57 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा,
	जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-4,000 घनमीटर्/वर्ष हेतु आवेदन किया ग्या
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—4,000 घनमीटर⁄वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 4,000 रेत का पुनरभराव होगा ।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
में अन्य खदानें	कमांक 2482 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान कोई संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	क्रमांक 2482 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक 2482 दिनांक 27 / 03 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक, रेल्वे लाईन्/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।

ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत भैरोघाट जिला जबलपुर के टहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	26 / 01 / 18 को अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् हेतु प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—60 के सरल क्रमांक—13
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—4340 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा ४००० घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-4000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.80 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.79 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.18 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम पिपरिया कलां के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	18,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर)नदी तट से 1 से 6	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1398
	पंक्तियों में(4-5 पंक्ति- कटंग बांस	282
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	118
2	ग्राम भैरोघाट के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	552

3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ)ट्री गौर्ड के साथ (50
		योग	2400

- ् वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे
 ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण
 की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No 10113/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Khirahni Kalan Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 271), Village-Khirahni Kalan, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80		
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)		
/ का नाम व पता			
खसरा नं./क्षेत्रफल	271 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- KHIRAHNI KALAN , Tehsil-	SIHORA, District- Jabalpur, Madhya	
	Pradesh.		

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी−1 ∕ बी−2
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, एक पक्का रोड ब्रिज लीज अपस्ट्रीम
का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	में 160 मीटर्स की दुरी पर है इस सम्बन्ध में ने परियोजना प्रस्तावक
Q 131 313 (II V II VI	बताया की सेट बैक छोड़ा है जिसे सरफेस मैप भी दर्शाया है , जिसका
	कारण 1.68 क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 0.32 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया
	जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप दिखाया गया है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-4000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है
	और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—4000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत
	है और इतनी ही मात्रा 4000 रेत का पुनरभराव होगा ।
500 मीटर की परिधि	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
में अन्य खदानें	क्रमांक 2489 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
की अनापत्ति	क्रमांक २४८९ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार प्राणी जातीय जैवविविधता का
	विशिष्ट क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ. 37 स्थित है, जिसका उल्लेख कार्य
	आयोजना वन मण्डल, जबलपुर में है और 10 किलोमीटर की परिधि में
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	क्रमांक २४८९ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार ३५० मीटर की दूरी पर मानव
	बसाहट / आबादी है तथा शेष स्थान 500 मीटर के बाहर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत खिरहनी कला जिला जबलपुर के टहराव दिनांक 08/06/23
पंचायत की अनापत्ति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—60 के सरल कमांक—7 पर
	दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—4800 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—4000 मी³ प्रति वर्ष।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 3.24 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.62 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.18 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम खिरैनी कलां के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	18,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1840
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	360
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	110
2	ग्राम खिरहानी कलां के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींब्, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	40
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (50
		योग	2400

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- \checkmark प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा $\sqrt{}$ उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- √ परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण

की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No 10133/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Neemkheda Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 326), Village-Neemkheda, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
польт платаж	SI : BANASSII BUUNAABKAB OK AABSAAS — —		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80		
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)		
/ का नाम व पता		,	
खसरा नं./क्षेत्रफल	326(सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- NEEMKHEDA, Tehsil- SHAHPUF	RA, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
	Area of Production - 10000 Cubic Meter	Per Annum.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग	के पत्र क्रमांक एफ—19—2—	
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से		
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के		
का नाम / गूगल			
इमेज अनुसार स्थिति	जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—10,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-10,000 घनमीटर / वर्ष हेत्		
	स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 10,000 रेत का पुनरभराव होगा ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
में अन्य खदानें	क्रमांक २४७६ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य		
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		

वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
की अनापत्ति	क्रमांक २४७६ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	क्रमांक २४७६ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का
	रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत कुसमी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–11 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	08/6/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—60 के सरल क्रमांक—14
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—11,600 घनमीटर उल्लेखित
	है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष
	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—10,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये ।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 6.20 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 2.49 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.34 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम बिलपत्थर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	34,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर)नदी तट से 1 से 6	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1308
	पंक्तियों में(4-5 पंक्ति- कटंग बांस	264
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	110
2	ग्राम नीमखेड़ा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3068
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (50
		योग	4800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन सिमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- ✓ परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No 10131/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Sagda Jhapni Sand Quarry in an area of 2.023 ha. (36414 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Sagda Jhapni, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP).

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

जबलपुर सामात क समक्ष			
परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
польт птава			
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80		
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)		
/ का नाम व पता			
खसरा नं./क्षेत्रफल	01(सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 2.023 ha.		
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- Sagda jhapni, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से		
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के		
का नाम / गूगल	कारण 0.81 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.21 हे. में खनन् कार्य किया		
इमेज अनुसार स्थिति	जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—36,414 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—36,414 घनमीटर / वर्ष हेतु		
	स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 36,414 रेत का पुनरभराव होगा ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
में अन्य खदानें	कमांक २४७४ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य		
	खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
की अनापत्ति	कमांक २४७४ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में		
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता		
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की			
अनापि्त	क्रमांक २४७४ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव		
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	रमारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/		
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत सगड़ा जिला जबलपुर के पत्र दिनांक 12/10/2022 अनुसार		

पंचायत की अनापत्ति	प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–59 के सरल क्रमांक–1 पर
	दर्जे है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—36,414 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 36,414 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—36,414 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.72 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.98 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम सगड़ा झपनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	98,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2428 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी) पंक्तियों 6 से 1 तट से	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1388
	(में	4-5 पंक्ति- कटंग बांस	226
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	94
2	ग्राम सगड़ा झपनी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	670
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा,	50

	नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ)ट्री गौर्ड के साथ (
	योग	2428

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड को काटा / उखाडा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- ✓ परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No 10136/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Saliwada Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (60000 cum per year) (Khasra No. 464), Village- SALIWADA, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपूर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
	- 3		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80		
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)		
/ का नाम व पता			
खसरा नं./क्षेत्रफल	४६४ (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 ha.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- SALIWADA, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur, Madhya Prades.		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से		
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2		

रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के		
का नाम / गूगल	कारण 2.0 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.0 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा,		
इमेज अनुसार स्थिति	जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-60,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-60,000 घनमीटर / वर्ष हेतु		
0 0 00	स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 60,000 रेत का पुनरभराव होगा ।		
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र		
में अन्य खदानें	क्रमांक २४७३ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य		
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
की अनापत्ति	क्रमांक २४७३ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में		
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता		
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
अनापत्ति	क्रमांक २४७३ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव		
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/		
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत सालीवाड़ा (बरगी) जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1		
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 08/6/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् की नीलामी की		
	अनुशंसा है ।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	· ·		
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—59 के सरल कमांक—2 पर		
	दर्जे है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—60,000 घनमीटर उल्लेखित है,		
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 60,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय		
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 60,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये ।

- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.21 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 3.00 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.55 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम सालिवाड़ा के शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय, के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	1,55,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी) पंक्तियों 6 से 1 तट से	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1545
	(में	4-5 पंक्ति- कटंग बांस	251
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	105
2	ग्राम सालीवाड़ा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2849
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ)ट्री गौर्ड के साथ (50
		योग	4800

[✓] वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

- \checkmark प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा $\sqrt{}$ उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
 - परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे

ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No 10112/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Pondi Khurd Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 188), Village-Pondi Khurd, Tehsil-Patan, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)			
/ का नाम व पता खसरा नं./क्षेत्रफल				
(सरकारी / निजी)	188 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.00 ha.		
स्थल	Village- PONDI KHURD, Tehsil- PATAN	, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग	के पत्र कमांक एफ–19–2–		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 /	/ 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से		
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।			
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2			
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के			
का नाम / गूगल	कारण 3.18 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.82 हे. में खनन् कार्य किया			
इमेज अनुसार स्थिति	जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में	जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—4,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-4,000घनमीटर/वर्ष हेतु			
	स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा ४,००० रेत का पुनरभराव होगा ।			
500 मीटर की परिधि	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
में अन्य खदानें	कृमांक २४६८ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य			
		कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	,			
की अनापत्ति	क्रमांक २४६८ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में			

	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक २४६८ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार २५० मीटर पर पक्का रास्ता, ४६०
	मीटर की दूरी पर मानव बसाहट एवं 490 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क
	तथा शेष स्थान 500 मीटर के बाहर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	
पंचायत की अनापत्ति	12 / 06 / 23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् हेतु प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—62 के सरल क्रमांक—27
	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—4100 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा ४००० घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 4000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 6.23 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.37 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.18 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम हरदुआ के शासकीय प्राथमिक स्कूल, के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	18,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर)नदी तट से 1 से 6	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	3042
	पंक्तियों में(4-5 पंक्ति- कटंग बांस	616
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	256

2	ग्राम पोंडी खुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	836
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (50
		योग	4800

- वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- ✓ परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 10111/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Salaiya Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 241), Village-Salaiya, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता			
खसरा नं. / क्षेत्रफल 241 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट भूमि) 4.00 ha (सरकारी / निजी)		4.00 ha	
स्थल	Village- SALAIYA, Tehsil- JABALPUR, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.		

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ—19—2— 2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।			
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2			
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान गौर नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के			
का नाम / गूगल	कारण 3.4 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.6 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा,			
इमेज अनुसार स्थिति	जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।			
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—2,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु			
	स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 2,000 रेत का पुनरभराव होगा ।			
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र			
में अन्य खदानें	कमांक २४९१ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में अन्य			
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।			
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र			
की अनापत्ति	क्रमांक २४९१ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में			
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता			
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।			
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र			
अनापत्ति	क्रमांक २४९१ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार २५० मीटर पर पक्का रास्ता, २१०			
	मीटर पर मानव बसाहट, 200 मीटर पर स्कूल एवं शमशान घाट है तथा शेष			
	स्थान 500 मीटर के बाहर है ।			
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत सलैया जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक			
पंचायत की अनापत्ति	13/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई			
	आपित्त नहीं है ।			
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की			
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-59 के सरल क्रमांक-6 पर			
	दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—3000 घनमीटर उल्लेखित है,			
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय			
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।			

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—2,000 मी³ प्रति वर्ष।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.41 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.08 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.13 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम कल्याणपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय, के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	13,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी) पंक्तियों में 6 से 1 तट से	पंक्ति 3-1- खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	3250
	(4-5 पंक्ति- कटंग बांस	709
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	295
2	ग्राम सलैया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	496
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (50
		योग	4800

[✓] वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन सिमिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।

[✓] प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।

[🗸] एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की

सहमित पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा । / परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No 10135/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Siluwa Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 103), Village-Siluwa, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 04/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला — जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MP	SMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80		
परियोजना / कम्पनी	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School,	सागर (MP)		
/ का नाम व पता				
खसरा नं./क्षेत्रफल	103 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	4.0 ha.		
(सरकारी / निजी)				
स्थल	Village- SILUWA, Tehsil- JABALPUR, Dist	rict- Jabalpur, Madhya Pradesh. Area of		
	Production 3000 Cubic Meter Per Annun			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–			
	2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से			
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।			
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2			
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान तैमूर नदी में स्थित है, खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के			
का नाम / गूगल	कारण 3.32 है. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.68 हे. में खनन् कार्य किया			
इमेज अनुसार स्थिति	जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।			
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—3,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत-3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु			
	स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 3,000 रेत का पुनरभराव होगा ।			
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र			
में अन्य खदानें	क्रमांक 2458 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य			

_			
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
की अनापत्ति	क्रमांक २४५८ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में		
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता		
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र		
अनापत्ति	क्रमांक २४५८ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव		
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के		
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शॅमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का		
	रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत सिलुआ सिकुरी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3		
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 08 / 06 / 23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को		
	कोई आपित्त नहीं है ।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की		
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–59 के सरल क्रमांक–4 पर		
	दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—3400 घनमीटर उल्लेखित है,		
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय		
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 3,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.65 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम सुकरी मंगेला के शासकीय बालक उच्च विद्यालय,, के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	15,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी) पंक्तियों 6 से 1 तट से	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	2358
	(में	4-5 पंक्ति- कटंग बांस	480
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
2	ग्राम भैरोघाट के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1712
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (50
		योग	4800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- ✓ परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No 9744/2023 Shri Babulal Mandloi, Executive Engineer, Narmada Valley Development Authority, Division-21, Sanawad, Khargone (MP) -451111. Prior Prior Environment Clearance for Jhirniya Micro Lift Irrigation Project in an area of 39,520 ha.(CCA), Gross command area (GCA- 53969 Hectare, at 86 villages of Jhirniya Tehsil of Khandwa and Pandhana Tehsil of Khargone (MP). Category-1-c, [under River Valley and Hydroelectric Projects].

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Jhirniya Micro Lift Irrigation Project in an area of 39,520 ha.(CCA) at 86 villages of Jhirniya Tehsil of Khandwa and Pandhana Tehsil of Khargone (MP). This is one of the three dams proposed as part of Chhindwara Irrigation Complex Scheme.

The case was presented by the Dr. Sandeep Jadhav, Env. Consultant from M/s. MITCON, Pune along with PP Shri Babulal Mandloi, Executive Engineer, Narmada Valley Development Authority, wherein PP stated the main objective of JHIRNIYA MICRO LIFT IRRIGATION SCHEME is to provide irrigation facilities to the water-scare areas in upper reaches of JHIRNIYA, tehsil of Khargone district & Khandawa, Pandhana Tehsil of Khandwa Dist. where the level of irrigation is very much less as compare to national irrigation percentage. The Jhirniya Micro Lift Irrigation Scheme has been conceived to catter irrigation water to about 39520 Ha CCA in Jhirniya, Khandwa & Pandhana tehsil of Khargone & Khandwa districts 86 villages will be benefited by this scheme. Jhirniya MLIS take's off a discharge of 14.83 Cumecs from ISP main canal at RD 39.80 Km. near village Daudwa in Distt. Khargone.

Salient Features and Information of Components

Name of the Project	Jhirniya Micro Lift Irrigation Scheme	
Type of the Project	Irrigation	
Supply Source/Lifting Point	ISP main canal near village Daudwa (PS1)	
Latitude/Longitude	76 ⁰ 08'37"E / 22 ⁰ 02'55."N	
District	Khandwa & Khargone	
Total number of village to be benefited	86 nos.	
Delivery Point	Near village 1. Bhatalpura (PS2) 2. Bhilankhera (PS3 & DC1) 3. Kusumbia (PS4 & DC2) 4. Pitchoriya (DC3)	
Length of Main Canal (in m) (for Irrigation project);	60000 (60kms)	
Length of Distributaries (in m) (for Irrigation project):	1500000 (1500kms)	
Cultural Command Area (ha):	39520	

Command Area Details

District	Taluka	Villages Benefited	Projected GCA in Ha	Created CCA in ha.
Khargone	Jhirnia	49	27695	19694
East Nimar (Khandwa)	Khandwa	06	6691	5629
	Pandhana	31	19583	14197
	Total	86	53969	39520

Land Requirement

Nature of Land	Requirement in (Ha)	
Non-Forest Land	0	
Forest Land	17	
Total	17	

Location of Scheme:

The Scheme area lies in Khargone and Khandwa District of MP. The supply source i.e. ISP Reservoir, lifting point of pump houses and rising main lie in Khargone distt. of Nimar region and water lifted from ISP main canal at RD 39.80 Km. Near Daudwa village in Khargone distt. And command area lies in 86 Villages Jhirniya, Khandwa & Pandhana tehsil of Khargone & Khandwa districts.

Regarding Land Acquisition & Resettlement of Oustees, PP stated that the proposed scheme is not a storage scheme hence no land will be submerged. The canal system is proposed through underground pipes, (minimum 1m. below ground level), thus no land will be permanently acquired for pipe line system only temporary land acquisition will be acquired under pipe line duct act. Only land for pump houses, rising man, approach road to pump houses (if found necessary) and for building construction at pump house will be acquired. No Abadi area is proposed to be acquired. Since no balancing reservoir is proposed in the scheme and no land will come under submergence therefore environmental clearance will be given by Govt. State level. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

- 1. Since project involves 17.0 ha., forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report.
- 2. Bifurcation of RF and PF details (if any).
- 3. Status of land as per land recored register of concerned collector.
- 4. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
- 5. KML of FC clearance and EC clearance shall be submitted with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
- 6. Thematic disgram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.

- 7. Details of actual area occupied by pipes and other other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussed in the EIA report.
- 8. It shall also be verified if any area is falling under PESA Act, 1996, if yes their provisions shall accordingly be complied.
- 9. Narmada Development Division has applied for distance from nearby National Park/ WLS vide letter no. 326 dated 31.01.23 and the same shall be submitted with EIA report.
- 10. Narmada Development Division has applied for interstate distance of the project vides letter no. 328 dated 31.01.23 and the same shall be submitted with EIA report.
- 11. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
- 12. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
- 13. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio-economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
- 14. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
- 15. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
- 16. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.
- 17. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
- 18. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
- 19. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
- 20. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.

- 21. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
- 22. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
- 23. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
- 24. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 25. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussed in the EIA report.
- 26. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report.
- 27. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
- 28. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
- 29. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

The EIA was presented by the Mr. Shrikant Kakade, Environment Consultant and Rudraksh Agarwal from MITCON Consultancy & Engineering Services Ltd., Pune, Maharashtra along with PP Shri Babulal Mandloi, Executive Engineer, Narmada Valley Development Authority, wherein PP stated the main objective of Jhirniya Micro Lift Irrigation Scheme as follows:

PROJECT BRIEF

- The main objective of Jhirniya Micro Lift Irrigation Scheme is to provide irrigation facilities to the water-scare areas in upper reaches of JHIRNIYA, tehsil of Khargone district &Khandawa, Pandhana Tehsil of Khandwa Dist. where the level of irrigation is very much less as compare to national irrigation percentage.
- It will catter irrigation water to about 39520 Ha CCA in 86 Villages of Jhirniya, Khandwa &Pandhana Tehsil of Khargone & Khandwa Districts
- Jhirniya MLIS take's off a discharge of 14.83 Cumecs from ISP main canal at RD 39.80 Km. near village Daudwa in Distt. Khargone
- Project involves 4 Pump Stations in Bhatalpura (PS2), Bhilankhera (PS3 & DC1), Kusumbia (PS4 & DC2), Pitchoriya (DC3) and main piped canal of 60 kms
- The project involves 5.5 Ha of Private land and 24.2 Ha of Forest Land
- Cost (in Lakhs): Rs. 1,38,573/- One Lakh Thirty Eight Thousand Five Hundred Seventy Three Lakh(s) Only
- Benefit cost ratio is 1.71

PROJECT DETAILS

Name of the Project	Jhirniya Micro Lift Irrigation Scheme	
Type of the Project	Irrigation	
Supply Source/Lifting Point	ISP main canal near village Daudwa (PS1)	
Latitude/Longitude	76 ⁰ 08'37"E / 22 ⁰ 02'55."N	
District	Khandwa & Khargone	
Village to be benefited	86 nos.	
Delivery Point	Near village 1. Bhatalpura (PS2) 2. Bhilankhera (PS3 & DC1) 3. Kusumbia (PS4 & DC2) 4. Pitchoriya (DC3)	
Length of Main Canal (in m) (for Irrigation project);	60000 (60kms)	
Length of Distributaries (in m) (for Irrigation project):	1500000 (1500kms)	
Cultural Command Area (ha):	39520	
Water Needed	153.75 MCM	
Nearest Major Town	Pandhana	
Nearest Railway station	Khandwa 90 km	
Nearest airport	Devi Ahilyabai Holkar International Airport, Indore 60 km	
Nearest IMD station	IMD station – Bhopal (Bairagarh)	

Seismic Zone	Zone-III Moderate Damage Risk
Any Religious/ Historical Place/ Archaeological monuments	No
Ecological sensitive area / Reserve Biosphere / Reserve Forest	Yes, patches of forest are observed in the study area

PP further submitted that a total 14.83 cumecs of water is proposed to be lifted from ISP Main canal. The power required to lift the same is about 46.34 MW. This has been planned to be supplied from MPPKVVCL

Total Land Requirement is of 29.7 haout of which:-

- Private Land: 5.5 ha (Pump House)
- Forest Land :24.2 ha (For Pump House, Pipe and Transmission Line)

Public Hearing Meeting was conducted in Village Dehariya, Khargone Dist. On 11.07.23 and Village Diwal, Khandwa Dist. on 14.07.23. Following are main points discussed during public hearing meetings:

- Pipeline must be of high quality
- Every farmer should get the right amount of water
- Water should be released in the rivers so that the left-out villages can get water.
- Do not make chamber in the field of small farmers
- A committee should be constituted for complaints and redressal of problems related to the canal.
- The chamber should be on the ridge of the fields so that the farmers are not harmed.
- Drinking water must be provided

Following commitments were made during Public hearing:

- Compensation for land and property acquiring for the project will be done "as per the provisions mentioned in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013.
- Efforts will be made not to take chamber in the fields of small farmers, the chamber will be on the ridge of the fields only.
- During the work, pipes and other materials will be used only according to the norms approved by the government.
- Water user association will be formed
- Proposed to distribute fruit bearing saplings to farmers and plant trees alongpipelines, approach road, pump house.
- Farmers will be benefited from the project. The pipes used in the above project will be installed in the depth of 1.2 meters of the land.

During presentation PP stated that none of the area is covered under the Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) Act, 1996 (PESA) act. The committee observed that the project involved Forest Land of 24.2 ha. and PP has not applied on -line for forest clearance hence committee recommended that the SEIAA shall not issue EC till PP obtained Stage I forest clearance. PP

After deliberations and the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Jhirniya Micro Lift Irrigation Project in an area of 39,520 ha.(CCA), Gross command area (GCA- 53969 Hectare, at 86 villages of Jhirniya Tehsil of Khandwa and Pandhana Tehsil of Khargone (MP), takes off discharge of 14.83 Cumecs from ISP main canal at RD 39.80 Km. near village Daudwa in Dist. Khargone Cat. 1(c) River Valley and Hydroelectric Projects is. Category-1-c, [under River Valley and Hydroelectric Projects]. Since, the PP has not applied for Stage I forest clearance (FC) on line hence, the grant of EC is recommended subjected to the conditions to obtained stage I forest clearance form competent authotity with following conditions:

- i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project
- ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
- The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of schedule-I species in the study area)
- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee
- v. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) of CWC.
- vi. Necessary approval of CEA shall be obtained for those projects having the project cost more than Rs. 1,000 crore.
- vii. If any public property (Burial Ground, Grave yard, Chabutra, Paramparik Narmada Parikrama Path) comes under the submergence, Restoration work/Alternate site will be provided by NVDA in consultation with local community or Gram Panchayat.
- viii. Compensation for land and property acquiring for the project will be done "as per the provisions mentioned in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013

I. Air quality monitoring and preservation

- i. Regular monitoring of various environmental parameters viz., Water Quality, Ambient Air Quality and Noise levels as per the CPCB guidelines at designated locations shall be carried out on monthly basis and a detailed database of the same shall be prepared and recorded. This shall be used as a baseline data for post construction EIA / Monitoring purposes.
- ii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points

- including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards.
- iii. Necessary control measures such as water sprinkling arrangements, etc. be taken up to arrest fugitive dust at all the construction sites.

II. Water quality monitoring and preservation

- i. Conjunctive use of surface water to be planned in the project to check water logging as well as to increase crops productivity. The field drains shall be connected with natural drainage system.
- ii. Remodeling of existing natural drains (link drains) and connecting them with irrigated land through constructed field drains, collector drains, etc. are to be ensured on priority basis.xw
- iii. Mixed irrigation shall be practiced and necessary awareness be given to all the farmers and trained in the use of such systems. Proper crops selection shall be carried out for making irrigation facility more effective.
- iv. On Farm Development (OFD) works like landscaping, land leveling, drainage facilities, field irrigation channels and farm roads, etc. should be taken up in phased manner prior to the start of irrigation in the entire command area. The Command Area Development Plan should be strictly implemented as proposed in the EIA/EMP report.

III. Noise monitoring and prevention

- i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

IV. Waste management

- i. Muck disposal (3.01 lakh cum) be carried out only in the approved and earmarked sites. The dumping sites shall be located sufficiently away from the HFL of the river. Efforts be made to reuse the muck for construction and other filling purposes and balanced be disposed of at the designated disposal sites. Once the muck disposal sites are inactive, proper treatment measures like both engineering and biological measures be carried out so that sites are stabilized quickly.
- ii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

V. Green Belt, EMP Cost, Fisheries and Wildlife Management

- i. Total 30,000 local indigenous fruit bearing saplings will be distributed to the farmers in benefited villages. Farmers affected will be given double saplings.
- ii. The Plantation Scheme for the project is given belox:-

S.N.	Location	Species	No. of Plants
1	Distribution of Saplings to farmers in Command Area (Farmers affected will be given double saplings)	Phyllanthus emblica L (Amla) Mangifera indica L(Aam) Carissa	30000
2	Pump House, along Raising Main, And Other Project Structures;	congestaWight(Karwand) Psidium guajava L.(Peru)	8000
3	Approach roads	Manilkara zapota (L.)(Chiku) Citrus limon (L.)(Limbu) Carica papaya L(Papaya) Mungal Hybrid	4000

- iii. Wildlife Conservation Plan prepared for both core and buffer zones shall be implemented in consultation with the local State Forest Department.
- iv. Compensatory afforestation programme shall be implemented as per the plan approved, if applicable.

VI. Human health issues

- i. Resettlement & Rehabilitation plan be implemented in consultation with the State Govt. as approved by the State Govt.
- ii. Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.
- iii. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.
- vi. Early Warning Telemetric system shall be installed in the upper catchment area of the project for advance intimation of flood forecast.
- vii. Emergency preparedness plan be made for any eventuality of the damfailure and shall be implemented as per the Dam Break Analysis.

VII. EMP Corporate Environment Responsibility

- i. A budgetary provision of Rs. **546.4325** Lakh is made for Environmental Management Plan as capital cost and Rs **175.0** lakh as recurring cost.
- ii. Under CER Rs 346.4325 Lakh is envisaged for proposed for following various activities.

SNo.	CERactivities proposed	Year 1 (in Lakhs)	Year 2(in Lakhs)	Year 3(in Lakhs)	Total (in Lakhs)
1	Van Gram Development in Consultation with and through DFO. Fund to be transferred to Forst Deptt.	30	30	20	80
2	Development of Local ITI's in Command Area	5	5	5	15
3	Skill Development of Youth in Command and adjacent villages of Khandwa and Khargone through CSIR-AMPRI in consultation with local ITI.	10	10	25	45
4	Development in Schools and Anganwadis: Basic Amenities (Drinking Water, Playground, Toilets and Boundary Walls) in concerned area.	20	30	30	80
5	Support Development and Supplies to Public Health Centers and 2 Ambulance in Command area	20	20	20	60
6	Development and Support to Women and vulnerable groups in villages of command area	5	5	10	20
7	Certified and improved vegetable Seed Distribution through Gram panchayat or agricultural deptt (Unnat Beej)	5	2.5	2.5	10
8	Replenish water in wells, lakes of command areas and Cover Boreholes in the command villages and Repair RCC Roads in Command Villages	6.4325	10	10	26.4325
9	Clean Drinking water in Command Villages	5	2.5	2.5	10

TOTAL 346.4325

- ii. Skill mapping be undertaken for the youths of the affected project area and based on the skill mapping, necessary trainings to the youths be provided for their long time livelihood generation
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year-wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Post EIA and SIA be prepared for the project through a third party and evaluation report be submitted to the Ministry after five years of commissioning of the project.
- vii. Multi Disciplinary Committee (MDC) be constituted with experts from Ecology, Forestry, Wildlife, Sociology, Soil Conservation, Fisheries, NGO, etc. to oversee implementation of various environmental safeguards proposed in EIA/EMP report during construction of the project. The monitoring report of the Committee shall be uploaded in the website of the Company.
- viii. Formation of Water User Association/Co-operative be made by involvement of the whole community be ensured for discipline use of available water for irrigation purposes.

VIII. Miscellaneous

- i. The project proponent shall make public, the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- iii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

- iv. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- v. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company
- vi. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- vii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
- viii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- ix. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- x. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xi. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xii. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions
- xiii. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
- xiv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

Recommendation: The prior Environmental Clearance is recommended subjected to the fulfillment of the above conditions.

21. Case No 9745/2023 Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, Narmada Development Division-23, 59, Arera Hills, NVDA, Narmada Bhawan, Bhopal (MP)-462027. Prior Environment Clearance for Handia Barrage Project in an area of 35,000 ha. CCA, GCA- 44,668 ha., Hydropower Generation-25 MW, Length of the Dam (m) -777meters, No. of Turbine Generating unit (MW) -05 nos. Total design

<u>discharge -1.75 Cumec., at Kundgaon Khurd village Dewas and Harda (MP).</u> <u>Category-1-c, [under River Valley and Hydroelectric Projects].</u>

This is a River Valley projects involving > 10,000 ha. of culturable command area falls under category "B" and have been mentioned at SN. 1(c) column B of Schedule of EIA Notification, hence such projects are required to obtain prior EC from the SEIAA.

This is case of Prior Environment Clearance for Handia Barrage Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 35000 ha. CCA at Kundgaon Khurd village Dewas and Harda (MP).

The case was presented by the Dr. Sandeep Jadhav, Env. Consultant from M/s. MITCON, Pune along with PP Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, Narmada Development Division-23, 59, NVDA, Narmada Bhawan, Bhopal, (Online) in the SEAC 632rd meeting dated21.03.2023 wherein PP stated that the proposed Handia Barrage Project will be constructed on Main Narmada River at Near Village Kundgaon Khurd in Dewas District. Handia Barrage Project is planned to cater 35,000 ha CCA in 72 villages in Dewas and Harda districts, Madhya Pradesh with gross capacity of 140.93 MCM. Tehsil Handia will be at Left Bank of Project whereas on the Right Bank Tehsil Khategaon. PP submitted following salient features of the project:

Name of the Project	Handia Micro Lift Irrigation Project
Type of the Project	Irrigation & Power
Location	Near Village KUNDGAON KHURD
Latitude	22°29'47.01"N
Longitude	77°0'21.64"E
Located on River	Narmada River
Tehsil	Handia at Left Bank /Khategaon at Right Bank)
District	Harda / Dewas
Type of Dam	Concrete
Dam height from the deepest foundation	24.50
level (m)	
Length of the Dam (m)	777
Maximum Height of the Embankment	11
Type of Spillway	Ogee
No. of Spillways	31
Irrigation Project CCA	35000 ha
GCA (ha.)	44668 ha
Hydropower Generation	25 MW
No. of Turbine Generating unit (MW)	5
Capacity of each turbine (MW)	5
Size of the Power House Cavern (m)	70*15*12
(L*W*H	
Total design discharge (Cumec)	1.75
Length of Main Canal	87 km
Length of Distributary	910 km

No. of Stream crossing	4
Type of Irrigation	Flood as well as drip
Benefited Village	72 in Dewas District

Command Area Details

District	Villages Benefited	Projected GCA in Ha	Created CCA in ha
			•
Dewas	72	35000	44668
Total	72	35000	44668

Land Requirement

Nature of Land	Requirement in (Ha)	
Non-Forest Land	200	
Forest Land	0	
Total	200	

During presentation, PP submitted that no forest land is involved in this project. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

- 1. Detaile diagrammatic representation of command area and any of the submergence area shall be prepared and appended with EIA report.
- 2. Status of land as per land recored register of concerned collector.
- 3. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
- **4.** KML of FC clearance and EC clearance shall be submitted with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
- 5. Thematic disgram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.
- **6.** Details of actual area occupied by pipes and other other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussed in the EIA report.
- 7. Narmada Development Division has applied for distance from nearby National Park/ WLS vide letter no. 206 dated 13.01.23 and the same shall be submitted with EIA report.
- 8. Narmada Development Division has applied for interstate distance of the project vides letter no. 207 dated 13.01.23 and the same shall be submitted with EIA report.
- 9. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
- 10. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex,

- religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
- 11. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio-economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
- 12. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
- 13. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
- 14. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.
- **15.** A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
- **16.** Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
- 17. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
- **18.** Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
- 19. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
- 20. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
- **21.** Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
- 22. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- **23.** Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussed in the EIA report.
- 24. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report.
- 25. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.

- **26.** EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
- 27. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

The case was presented by Mr. Shrikant Kakade ,Environment Consultant and Rudraksh Agarwal from MITCON Consultancy & Engineering Services Ltd., Pune, Maharashtra along with PP'sMr. Mukesh Raikwar, Executive Engineer from Narmada Valley Development Authority (NVDA) Division-23, Bhopal. PP submitted following abouth the project:-

PROJECT BRIEF

- The Proposed construction of Handia Barrage Project on River Narmada, near village Kundgaon Khurd, Dewas District, M.P.
- On the right bank of the River Narmada: Sub-surface Power House has proposed.
- Latitude 22°29'47.01"N and Longitude 77° 0'21.64"E.
- Water from Power House would be discharged back through Tailrace pool and Tailrace channel into the river Narmada again.
- Project area which is part of Dewas District has Irrigation facilities from all sources to the extent of only 23% of net cropped area. The major area of Dewas Dist. is rainfall dependent, thus scarcity conditions prevalent throughout the year. Presently only rain fed cultivation is going on the proposed command area.
- There is no Forest Land Required and the Project doesn't involve R&R.
- Cost: Rs. 117640.73 (One Lakh Seventeen Thousand Six Hundred Forty Point Seventy-Three Lakh(s) Only)

PROJECT DETAILS

SI	Parameters	Actual values as per survey/ Values adopted	
I	Head Work Minimum requirement:		
(i)	Top width of Spillway bridge	10.5 m	
(ii)	Top width of earthen dam	7.5 m	
(iii)	Hydro-power station (min. installed capacity)	25 MW (5 MW * 5 units each)	
(iv)	Height between pond level and river bed level	10.5 m	
II	Pressurized Piped Irrigation System		
(i)	GCA	43111 ha	
(ii)	CCA	35027 ha	
(iii)	Power	19.89 MW	
III	Power Generation		
(i)	Maximum load variation/ Continuous overload rating	110%	
(ii)	Generation Voltage	11 KV	

(iii)	Switchyard Voltage	132 KV
(iv)	Rated Frequency	50 HZ
IV	Location	
(i)	Nearest Major Town	Kundgaon Khurd 3 km
(ii)	Nearest Railway station	Hardia Railway Station 19 km
(iii)	Nearest airport	Devi Ahilyabai Holkar
		International Airport, Indore 125 km
(iv)	Nearest IMD station	IMD station – Bhopal (Bairagarh)
(v)	Any Religious/ Historical Place/	Yes
	Archaeological monuments	Riddheshwar Mahadev Temple,
		Handiya, Harda
		Teli ki Sarai, Handiya, Harda
		Pir ki Dargah, Handiya, Harda
(vi)	Ecological sensitive area / Reserve	None within 10 kms, KheoniWLS -
	Biosphere / Reserve Forest	35 km from project site.

Barrage Specification Details

Sr No.	Particulars	Area
1.	Source	River Narmada
2.	Catchment Area	51913 sq.km
3.	Gross storage and utilization	140.93 MCM
4.	Annual irrigation proposed	35000 На
5.	Discharge required	12.25 cumecs
6.	Length of Main Canal	87 km
7.	Length of Distributary	910 km
8.	Area occupied by pipes	The pipe shall be laid 1.00 m. below average ground level. Hence no land for pipes shall be acquired permanently.

SI	Parameters	Actual values as per survey/ Values adopted
I	Head Work	
1.	Top Bund Level	282.50 m

2.	Maximum water level (MWL) for passing the flood	280.5 M or below
3.	Maximum Drawdown Level (MDDL)	261.00 M
4.	Maximum Gross Head	9.50 M
5.	Minimum Gross Head	7.50 M
6.	Maximum Tail Water level	264 M
7.	Minimum Tail Water level	261 M
8.	Hoisting Arrangement for operation of Gates	Electrically Operated Rope Drum Hoist with in-built manual operation, along with remote, fully PLC Automation control system
19.	Length of composite dam	1525 m
(a)	Length of spillway	561 m
(b)	Length of power block	84 m
(c)	Length of earthen dam	880 m
11.	Gate Size and nos.	15m * 8m (31 nos)
12.	Gantry Crane	As per the design load
13.	Submergence area (Ha.) (Subject to Cl. Vol. II, 1.2.1)	3399.57 На
14.	Parapet wall on the upstream and downstream side of earthen Handia Barrage (m)	1.50 m
II	Power Generation	
1.	Rated Speed (RPM)	157.89 (Tentative)
2.	Power Factor	0.9 lagging
3.	Switchyard line	As per BIS

PP submitted that no forest land involved in the catchment area and with the association/help of forest department the catcment area development plan shall be prepared and the copy of the same shall be available to SEIAA.

The total Land Requirement is of 1942.31949 haout of which:

- Private Land: 335.66796 ha(Submergence Area)
- Government Land: 1606.65153 ha (Submergence Area)
- Forest Land : Nil

PP further submitted that Public HearingMeeting was conducted in Village Puroni on 12.07.23 wherein most of the attendees havepraised the project and felt the need for water for irrigation and wanted project to start soon, Following are main points discussed during

Public hearing meetings:

- Plantation of trees in the village
- School demand till class 12th in gram panchayat Puroni.
- Release water from time to time in the Jamner river in the village.
- Plant should be distributed among the benefited farmers.
- Water should be made available to summer crops.
- There is problem due to lack of road construction.

Following commitments were made by PP during Public hearing:

- Compensation for land and property acquiring for the project will be done "as per the provisions mentioned in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitationand Resettlement Act 2013.
- Proposed to distribute fruit bearing saplings to farmers and plant trees along pipelines, approach road, pump house.
- Farmers will be benefited from the project. The pipes used in the above project will be installed in the depth of 1.2 meters of the land.

During presentation, PP submitted thatthe total cost of EMP is 1274.1018 lakhs (Capital) and 175 lakhs (Recurring) also cost for commitments (CER) is 294.1018 lakhs.

The submissions and presentation made by the PP found to be satisfactory and acceptable hence the case recommended for grant of Prior Environment Clearance for Handia Barrage Project in an area of 35,000 ha.CCA, GCA- 44,668 ha., Hydropower Generation-25 MW, Length of the Dam (m) -777 meters, No. of Turbine Generating unit, Total design discharge -1.75 Cumec., at Kundgaon Khurd village Dewas and Harda (MP). Category-1-c, [under River Valley and Hydroelectric Projects], with following conditions:

I. Statutory compliance:

- i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project
- ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
- iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan

and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of schedule-I species in the study area)

- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee
- v. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) of CWC.
- vi. Necessary approval of CEA shall be obtained for those projects having the project cost more than Rs. 1,000 crore.
- vii. If any public property (Burial Ground, Grave yard, Chabutra, Paramparik Narmada Parikrama Path) comes under the submergence, Restoration work/Alternate site will be provided by NVDA in consultation with local community or Gram Panchayat.
- viii. Before starting the dam construction work, the authority shall resolve the cases for compensation towards land and property acquiring for the project "as per the provisions mentioned in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitationand Resettlement Act 2013.
 - ix. The dam authority shall comply with the dame safety guidelines which is developed by GoI.

II. Air quality monitoring and preservation

- i. Regular monitoring of various environmental parameters viz., Water Quality, Ambient Air Quality and Noise levels as per the CPCB guidelines at designated locations shall be carried out on monthly basis and a detailed database of the same shall be prepared and recorded. This shall be used as a baseline data for post construction EIA / Monitoring purposes.
- ii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards.
- iii. Necessary control measures such as water sprinkling arrangements, etc. be taken up to arrest fugitive dust at all the construction sites.

III. Water quality monitoring and preservation

- ii. Conjunctive use of surface water to be planned in the project to check water logging as well as to increase crops productivity. The field drains shall be connected with natural drainage system.
- iii. Remodeling of existing natural drains (link drains) and connecting them with irrigated land through constructed field drains, collector drains, etc. are to be ensured on priority basis.xw
- iv. Mixed irrigation shall be practiced and necessary awareness be given to all the farmers and trained in the use of such systems. Proper crops selection shall be carried out for making irrigation facility more effective.
- v. On Farm Development (OFD) works like landscaping, land leveling, drainage facilities, field irrigation channels and farm roads, etc. should be taken up in phased manner prior to the start of irrigation in the entire command area. The Command Area Development Plan should be strictly implemented as proposed in the EIA/EMP report.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

V. Catchment Area Treatment Plan

i. Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be prepared by the department (NVDA)in consultation with the State Forest Department and shall be implemented in synchronization with the construction of the project.

VI. Waste management

- i. Muck disposal (3.01 lakh cum) be carried out only in the approved and earmarked sites. The dumping sites shall be located sufficiently away from the HFL of the river. Efforts be made to reuse the muck for construction and other filling purposes and balanced be disposed of at the designated disposal sites. Once the muck disposal sites are inactive, proper treatment measures like both engineering and biological measures be carried out so that sites are stabilized quickly.
- ii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VII. Green Belt

- i. Total 30,000 local indigenous fruit bearing saplings will be distributed to the farmers in benefited villages. Farmers affected will be given double saplings.
- ii. Proposed to distribute fruit bearing saplings to farmers and plant trees along pipelines, approach road, pump house.
- iii. Plantation Scheme details are as given below:-

S.	Location	Species	No. of Plants
N.			
1	Distribution of Saplings to farmers in		
	Command Area (Farmers affected will be	Phyllanthus emblica L	30000
	given double saplings) or demand.	(Amla)	30000
		Mangifera indica L(Aam)	
2	Pump House, along Raising Main, And	Carissa	8000
	Other Project Structures;	congestaWight(Karwand)	8000

3 Approach roads	Psidium guajava L.(Peru) Manilkara zapota (L.)(Chiku) Citrus limon (L.)(Limbu) Carica papaya L(Papaya) Munga Hybrid	4000
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

- iv. Wildlife Conservation Plan prepared for both core and buffer zones shall be implemented in consultation with the local State Forest Department.
- v. Compensatory afforestation programme shall be implemented as per the plan approved, if applicable.

VIII. Human health issues

- i. Resettlement & Rehabilitation plan be implemented in consultation with the State Govt. as approved by the State Govt.
- ii. Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.
- iii. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.
- vi. Early Warning Telemetric system shall be installed in the upper catchment area of the project for advance intimation of flood forecast.
- vii. Emergency preparedness plan be made for any eventuality of the damfailure and shall be implemented as per the Dam Break Analysis.

IX. EMP & Corporate Environment Responsibility

- i. A budgetary provision of **Rs1274.1018** Lakh is made for Environmental Management Plan as capital cost and Rs **175.0** lakh as recurring cost.
- ii. A budgetary provision of capital Rs. **294.1018Lakhs** in EMP is made to for the local area development-CER activities based on the issues raised in public consultations and commitments made by the project proponent are as follows:

SNo.	CERactivities proposed	Year 1 (in	Year 2(in	Year 3(in	Total (in Lakhs)
1	Development of Kheoni WLS (Funds to DFO,Dewas)	Lakhs) 20	Lakhs) 20	Lakhs)	50
2	Development of Local ITI's in Command Area	5	5	5	15
3	Skill Development of Youth in Command and adjacent villages of Dewas through CISR- AMPRI in consultation with local ITI's	10	10	25	45
4	Development in Schools and Anganwadis: Basic Amenities (Drinking Water, Playground, Toilets and Boundary Walls)	20	30	30	80
5	Support Development and Supplies to Public Health Centers and 2 Ambulance in Command area	20	20	10	50
6	Development and Support to Women and vulnerable groups in villages of command area	5	5	10	20
7	Certified and improved vegetable Seed Distribution through Gram panchayat or agricultural deptt (Unnat Beej)	5	2.5	2.5	10
8	Replenish water in wells, lakes of command areas and Cover Boreholes in the command villages and Repair RCC Roads in Command Villages	4.1018	10	TOTAL	24.1018
				IUIAL	294.1018

- ix. For Wild life Habitat Development at Kheoni WLS for this purpose the PP shall transfer Funds to DFO, Dewas and DFO Dewas shall prepared the development plan of Kheoni WLS and the same plan shall submit to PCCF, Wildlife, for approval then after the fund will be utilized as per approved plan.
- x. Skill mapping be undertaken for the youths of the affected project area and based on the skill mapping, necessary trainings to the youths be provided for their long time livelihood generation
- xi. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to

have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

- xii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- xiii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year-wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- xiv. Post EIA and SIA be prepared for the project through a third party and evaluation report be submitted to the Ministry after five years of commissioning of the project.
- xv. Multi Disciplinary Committee (MDC) be constituted with experts from Ecology, Forestry, Wildlife, Sociology, Soil Conservation, Fisheries, NGO, etc. to oversee implementation of various environmental safeguards proposed in EIA/EMP report during construction of the project. The monitoring report of the Committee shall be uploaded in the website of the Company.
- xvi. Formation of Water User Association/Co-operative be made by involvement of the whole community be ensured for discipline use of available water for irrigation purposes.

X. Miscellaneous

- i. The project proponent shall make public, the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- iii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- iv. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- v. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company
- vi. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing

- the land development work and start of production operation by the project.
- vii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
- viii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- ix. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- x. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xi. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xii. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions
- xiii. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
- The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

Recommendation: The prior Environmental Clearance is recommended subjected to the fulfillment of the above conditions.

22. Case No 9318/2022 M/s Alakhananda Stone Mill, Partner Shri Rajeev Gupta, Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510Prior Environment Clearance for Stone Query in an area of 4.650 ha. (Total Production – 2,50,000) Stone, Boulder – 1,50,000 cum per annum, M-sand – 1,00,000 cum per annum (Khasra No. 151 Village - Dhujaura, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, (MP)

प्रकरण समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुथा था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:—

- 1. प्रश्नाधीन खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः पश्चिमी दिशा में लगभग 100 मी. की दूरी पर पक्का रोड़ होने के वजह से स्थानवार मापदंड अनुसार सेटबेक छोड़ा जाना प्रस्तावित है जिसको सर्फेस मेप में दर्शाते हुये स्पष्ट करें कि इस खदान में खनन् योग्य क्षेत्र कितना उपलब्ध होगा।
- 2. प्रस्तुत सर्फेस मेप में सेटलिंग टैंक की स्थिति एंव रिटेनिंग वॉल की स्थिति तथा एम.सेण्ड प्लांट की स्थिति नहीं दर्शायी गई है अतः टोपोग्राफी अनुसार सेटलिंग टैंक की स्थिति सर्फेस मेप में दर्शाते हुये प्रस्तुत करे।
- 3. सेटलिंग टैंक की एंव रिटेनिंग वॉल मे होने वाले व्यय को ई.एम.पी. मे आवश्यक बजट के साथ प्रस्तुत करे।
- 4. प्रस्तावित एम. सेण्ड प्लांट प्रोसेस के फ्लो डायग्राम के साथ स्लरी का मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत करें।
- 5. स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत नहीं की गई है अतः बैरियर जोन में ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल मय जियोटेग फोटोग्राफ ई.आईए. के साथ प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 04/08/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रेएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल आज दिनांक 23/06/23 को उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् कुल उत्पादन क्षमता 2,50,000 (स्टोन बोल्डर—1,50,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम—सेंड— 1,00,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा बेंचेस एवं क्लोजर के समय रैम्प निर्मित नहीं जाती है और भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए परियोजना प्रस्तावक जिम्मेदार होंगे ।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.01 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 1.02 लाख प्रति वर्ष।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02,50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

क्रमांक	योजना	कार्य क्षेत्र	लागत (लाख)
1	स्वास्थ्य शिविर परीक्षण	ग्राम धुजीरा एवं चन्दवारा मे	25000/-
2	रोड निर्माण 100 मी	खदान से पहुच मार्ग	80000/-
3	खेल सामग्री वितरण	ग्राम धुजीरा एवं चन्दवारा स्कूल मे	20000/-

4	फलदार पौधो का वितरण 2000 नं0	ग्राम धुजीरा एवं चन्दवारा मे फलदार पौधो का वितरण।	100000 / -
5	अन्य कार्य	पंचायत एवं ग्रामीण के मांग के अनुसार	25000/-
कुर	ਜ		2,50,000 / —

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

6.

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)		
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:—, नीम, पीपल, केथ, जंगल जलेबी, सिस्सू, चिरोल, सीताफल आदि।	2000		
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	नीम, करंज, बांस, सीताफल, पीपल, कचनार, एवं चिरोल, जंगलजलेबी, आदि	600		
3	ग्राम धुजौरासमुदायिक भवन, स्कूल एवं आगनवाड़ी में वृक्षारोपण (ट्री गार्ड के साथ)	नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, जंगलजलेबी, सिस्सू आदि।	200		
4	ग्राम धुजौरा ग्रामीणो में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आवला, कचनार, निब्बू, इमली, कटहल, आदि ।	1800		
	কুল 4600				
	गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना।				

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No 9970/2023 Shri Yogendra Tomar, Lease Owner, R/o A/131, Ward-22, Phase-3, SPM Colony, District-Hoshangabad (MP)-461001, Prior Environment Clearance for Rampura Chikaldi Stone Mine in an area of 2.00 ha. (22800 cum

per year) (Khasra No. 42/1/1), Village-Chakaldi, Tehsil-Nasrullaganj, District-Sehore (MP)

प्रकरण समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुथा था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्राकृतिक नाले के परिपेक्ष्य में आवश्यक स्थानवार मापदण्ड छोड़ने के पश्चात पुनरिक्षित सर्फेस मेप के साथ यह भी स्पष्ट करें कि सेटबेक छोड़ने के पश्चात उपलब्ध खदान क्षेत्र मे आवेदित मात्रा हेतु उपलब्ध हो सकेगी?

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे सिमित के समक्ष दिनांक 04/08/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री योगेन्द्र तोमर ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण किया और पाया कि खदान क्षेत्र में से जो प्राकृतिक नाला निकल रहा है, जिसके संरक्षण हेतु स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन् क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है, अतः प्राकृतिक नाला स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन् क्षेत्र दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप पुनः प्रस्तुत करें।

24. Case No 9114/2022 M/s Banafar Granite Industries, Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, DIst. Chhatarpur, MP - 471510, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.416 ha. (45,000 cum per annum) (Khasra No. 1901, 1935, 1937, 1938), Village - Prakash Bamhauri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)

प्रकरण समिति की 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें आवेदित क्षेत्र के वायु गुणवत्ता के परिणाम (पी.एम. 10 एवं पी.एम. 2.5 माईकोन) आस—पास की गतिविधि को देखते हुए कम प्रतीत हो रहे है अतः परियोजना प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संपर्क के भुगतान के आधार पर वायु गुणवत्ता को डाटा पुनः प्रस्तुत करें ।

प्रकरण 30 दिवस में जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण को 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को डिलिस्ट करने हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य कर प्रकरण को डिलिस्ट न कर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 04/08/23 को रखा गया, जिसमें श्री अभिषेक सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—45,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 22.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.70 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम प्रकाश बम्हौरी मे 01 नया हैंडपंप के साथ चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था की जाएगी।	50,000
ग्राम प्रकाश बम्हौरी के शासकीय विद्यालय में 01 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर की व्यवस्था की जाएगी।	40,000
कुल	90,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1700 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)		
1	बैरियर जोन बैरियर जोन शासकीय भूमि खसरा नंबर (1901)	उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	942		
2	बैरियर जोन निजी भूमि खसरा नंबर (1935,1937,1938)	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।			
3	प्रकाश बम्हौरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर इत्यादि।	20		
4	गाँव प्रकाश बम्हौरी, के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।	388		
		कुल	1700		
गरलेप	गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया				

जाना ।

25. <u>Case No 9258/2022 M/s Akash Granite, R/o Indira Nagar, Karbai, Dist. Mahoba, UP - 210424 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)</u>

प्रकरण में समिति की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ। था, जिमसें परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोई खनन् कार्य नहीं किया गया है। अतः संबंधित खनिज अधिकारी परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आकाश ग्रेनाईट के खनन् संचालन अवधि (25/09/2008 से 24/09/2018) का पुनः परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। खसरा न. 499 अन्य प्रचलित खदानों में चेनलिंग फेसिंग आदि का कार्य दृष्टिगत नहीं हो रहा है, अतः संबंधित खनिज अधिकारी मेसर्स आकाश ग्रेनाईट का जांच प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी 30 दिवस के अवधि के बाद भी प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके कारण प्रकरण डिलिस्ट करने हेतु आज दिनांक 03/08/23 को सूचीबद्ध है । चूँकि परियोजना प्रस्तावक ने दिनांक 25/07/23 को ई—मेल कर प्रकरण को डिलिस्ट न करते हुए प्रकरण में समिति द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया है ।

समिति परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर समिति ने चर्चा उपरांत मान्य करते हुए समिति द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को 15 दिवस का अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है ।

26. Cases where PP has not submitted the desired information/pending since long/remains absent from the SEAC meeting:

Following cases were appraised in various SEAC meetings wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is awaited:

SN	Case No. Activity	SEAC Meeting details in which query/clarification	
		was sought from PP.	
1	Case No 9958/2023 Shri Sudhir Choudhary, Owner, R/o Ward No. 26, Prem Nagar,	Online Received	
	Tehsil & District-Balaghat (MP)- 481001, Prior Environment Clearance for Bhanpur	02/06/23 (Q-655 dated	
	Crusher Stone Quarry in an area of 4.173 ha. (30001 Cum per annum) (Khasra No. 41	22/06/23)	
	P), Village-Bhanpur, Tehsil-Kirnapur, District-Balaghat (MP) [423930]		
2	Case No 9938/2023 Shri Tara Ajnar, Lease Owner, R/o Village-Pratapfaliya, Tehsil- Online Received		
	Jobat District-Alirajpur (MP)- 476337, Prior Environment Clearance for Pratapfaliya	19/05/23 (Q-652 dated	
	Crusher Stone Deposit in an area of 0.600 ha. (2425 cum per annum) (Khasra No. 244/1,	14/06/23)	
	244/2), Village- Pratapfaliya, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP) [423624]		
3	Case No 9939/2023 Shri Tara Ajnar, Lease Owner, R/o Village- Morasa, Tehsil- Jobat,	Online Received	

	District-Alirajpur (MP)- 457990, Prior Environment Clearance for Morasa Crusher Stone	19/05/23	(Q-652	dated
	Deposit in an area of 0.440 ha. (4850 cum per annum) (Khasra No. 909), Village-	14/06/23)		
	Morasa, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP) [420303]			
4	Case No 9036/2022 Shri Jeevan Raghuvanshi S/o Shri Hem Singh Raghuvanshi, Village		Online Received	
	- Akoliya, Tehsil & DIst. Dhar, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an	09/5/23	(Q-649	dated
	area of 1.0 ha. (15000 Cum per annum) (Khasra No. 1022/1/G/2 Peki), Village - Kheda,	07/06/23)		
	Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP) [71003] (EIA)			
5	Case No 8929/2022 Shri Jivan Chaudhary S/o Shri Mangi Lal Chaudhary, Village -		Online Received	
	Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, MP, Email -	04/05/23	(Q-649	dated
	chourdharyjeevan[at]gmail[dot]com, Mobile - 9821484424 Prior Environment Clearance	07/06/23)		
	for Stone Quarry in an area of 2.80 ha. (Stone - 19000 Cum per annum, Waste - 1000			
	Cum per annum, Murrum as overburden - 12000 Cum per annum) (Khasra No. 168/6,			
	168/7/1, 168/7/2, 168/11 Peki), Village - Kalyansi Khedi, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar			
	(MP) (EIA)			
6	Case No 9272/2022 Shri Hari Singh Raghuwanshi S/o Shri Bheru Singh Raghuwanshi,	Online Red	ceived	
	Village - Bardari, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, MP, Prior Environment Clearance for	04-05-23	(Q-649	dated
	Stone & Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone - 25000 cum per annum, Murrum -	07/06/23)		
	20000 cum per annum) (Khasra No. 646/2, 647) Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur,			
	Dist. Dhar, MP [80183] (EIA)			
7	Case No 9903/2023 Shri Kuldeep Singh Saluja, Director, M/s Gaur Road Tarcoat Pvt	Online Red		
	Ltd, R/o Plot No. 2283, Sharda Chowk, Nagpur Road, District-Jabalpur (MP)-482001,	03-05-23	(Q-650)	dated
	Prior Environment Clearance for Bamhani (Dhawadongri) Murrum & Crusher Stone in	08/06/23)		
	an area of 2.50 ha. (Stone-200000, Murrum-50000 cum per annum) (Khasra No. 520/1,			
	520/2, 520/3, 523), Village-Bamhani (Dhawadongri), Tehsil-Bajag, District-Dindori			
	(MP) [427305]			
8	Case No 8830/2021 Shri Amit Sharma S/o Shri Laxminarayan Sharma, Dana Oil New		ceived	
	Sarafa, Lashkar, Dist. Gwalior, MP, SIA/MP/MIN/62220/2021 Prior Environment	15-03-23	(Q-647	dated
	Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (34000 Cum per annum) (Khasra No.	29/05/23)		
	3921), Village - Biloua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) (EIA)			

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिुंदु पर चर्चा -

1. श्री सुरेन्द्र नामदेव, किनष्ट प्रबंधक (फील्ड) भोपाल ने सिमित को ई—मेल से (पत्र दिनांक 03/08/23) संज्ञान में लाया है कि सिमित की 664वीं दिनांक 28/07/23 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशांसित प्रकरणों कमशः 10058/23, 10059/23, 10060/23, 10061/23, 10069/23, 10070/23, 10071/23, 10072/23, 10073/23 एवं 10074/23 में परियोजना प्रस्तावक का नाम श्री रमेश भूमरकर एवं पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियों इंवायरो मैनेजेंमेंट साल्यूशंस (इं.) प्रा.लि. उल्लेखित हो गया है जबिक परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं पर्यावरण सलाहकार का नाम श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्निजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि. करने का अनुरोध किया है ।

समिति ने प्रकरणों का परीक्षण किया और पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश नाम उल्लेखित हो गया है, अतः समिति की 664वीं दिनांक 28/07/23 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित प्रकरणों कमशः 10058/23, 10059/23, 10060/23, 10061/23, 10069/23, 10070/23, 10071/23, 10072/23, 10073/23 एवं 10074/23 में परियोजना प्रस्तावक के नाम श्री रमेश भूमरकर एवं पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियों इंवायरो मैनेजेंमेंट साल्यूशंस (इं.) प्रा.लि. के स्थान पर परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र नामदेव एवं पर्यावरण सलाहकार का नाम श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्निजेंस रिसर्च इंडिया प्रा. लि. पढ़ा जाये, शेष अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

2. Rectification in Case No 9794/2023 Shri Relam, R/o Village-Sevariya, Post-Kanwada, Tehsil-Jobat, District-Alirajpur (MP)-457990, Prior Environment Clearance for Chak Ubrasi Stone & M-Sand Mine in an area of 4.250 ha. (Stone – 1,85,000 Cum/Year and M-Sand – 15,000 Cum/Year) (Khasra No. 3, 4, 21) Village-Chak Ubrasi, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP).

परियोजना प्रस्तावक ने समिति को ई—मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 01/08/2023 द्वारा सूचित किया है कि उनका प्रकरण एसईएसी की 661वीं बैठक दिनांक 20/07/2023 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिहत एसईआईएए को प्रेषित किया गया है, जिसमें पत्थर—1,85,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम.सेड — 15,000 मी³ प्रति वर्ष टंकित हो गया है जबिक अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में पत्थर—15,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम.सेड—1,85,000 मी³ प्रति वर्ष है, के अनुसार शुद्धिपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है ।

समिति ने प्रकरण का पुनः अवलोकन किया और पाया कि प्रकरण में टंकण त्रुटि है। अतः समिति की 661वीं बैठक दिनांक 20/07/2023 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित क्षमता पत्थर—1,85,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम.सेड—15,000 मी³ के स्थान पर पत्थर—15,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम.सेड—1,85,000 मी³ प्रति वर्ष पढा जावें, शेष शर्ते यथावत रहेंगी ।

3. प्रस्तुतीकरण के कुछ प्रकरणों में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड एकल प्रमाण पत्र में वन मण्डलाधिकारी के पत्रों (क्रमांक व दिनांक) का उल्लेख नहीं किया जाता है । समिति ने इस हेतु सिया स्तर से सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया जाने की अनंशसा करती है ।

4. सिमिति द्वारा कुछ प्रकरणों में अनुशंसाओं में वन विभाग / वन मण्डलाधिकारी के के माध्यम से वन्यप्राणी के हेबीटेड, डेव्हलपमेंट एवं वृक्षारोपण का प्रावधान किया जाता है, जिसकी जानकारी संबंधितों तक नहीं पहुँच पाने से पर्याप्त कियान्वयन नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थित में उन प्रकरणों में सिया स्तर से जारी की जानी वाली पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति संबंधित प्रधान वन बल प्रमुख (Half) को भी दिये जाने की अनुशंसा है, जिससे वन्यप्राणी के हेबीटेड, डेव्हलपमेंट एवं वृक्षारोपण आदि गतिविधियों का उचित कियान्वयन हो सके ।

5. In case of the sand mine cases, the committee is of the opinion that:

- 1. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
- 2. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
- 3. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
- 4. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of 3 persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
- 5. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
- 6. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
- 7. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
- 8. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
- 9. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only, it should not be washed away during sand washing process.

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/

Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit at least once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.

- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.

- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India &

- others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.

40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतू प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्वंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:— भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंक़रण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षी तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8: रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास	
	बीजअगेव आदि)	में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर